CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GHANA

FOR THE YEARS 2018-2022

In pursuance of the Cultural Agreement signed in New Delhi on 12th October, 1981 and desirous of developing further cultural relations between the two countries, the Government of the Republic of India and the Government of Republic of Ghana have agreed on the following Cultural Exchange Programme for the years 2018-2022.

CULTURE AND ARTS

ARTICLE 1

The National Libraries of the two sides will exchange bibliographies, as well as important publications in the field of economics and social and cultural developments in their countries.

ARTICLE 2

During the validity of this programme, both sides will exchange music ensembles/dance troupes of up to 10-15 members for a period of seven days. The details will be settled through diplomatic channels.

ARTICLE 3

During the validity of this programme, both sides will exchange an exhibition of folk/plastic arts for a period of 2-3 weeks to be shown in different parts of the country. Each exhibition will be accompanied by one official/commissioner. The details will be settled through diplomatic channels.

Exchange of 4-5 authors between both the countries during the validity of the programme. The details will be decided through mutual consultation between both countries.

ARTICLE 5

Both sides shall exchange performances and experts between similar theatre institutes of both countries and students studying theatre on reciprocal basis. Exchange of experts can be done by conducting workshops and observing the classes. Both sides can send their theatre productions for participation in the festivals in other country.

MASS MEDIA

ARTICLE 6

Both sides will undertake to encourage exchange of Radio programmes focusing on cultural developmental aspects of the respective countries including areas of tourism. Recordings of special programmes to mark anniversaries of leaders will be made available on request.

ARTICLE 7

All India Radio (AIR) will send special recordings of Indian classical and light music (non-film) gratis. A list of recordings available will be sent to the Broadcasting Organization in Ghana for making their selections. In exchange, similar programmes will be sent by Ghana.

ARTICLE 8

Both sides will make their training facilities available to two candidates, at a time, in a given academic year in programmes and technical areas relating to Mass Media. The sending country will bear the total expenditure of the trainees.

lu.

Both sides shall exchange T.V. programmes for understanding the different aspects of life and culture of the other country.

ARTICLE 10

Both sides shall exchange faculty for a short duration between the Film and Television Institute of India (FTII), Pune and Ghana Film School.

ARTICLE 11

Both sides shall exchange two journalists for a period not exceeding two weeks.

ARTICLE 12

Both sides agree to organize mutual film weeks with the participation of two-member film delegations and also encourage participation in Film Festivals.

ARTICLE 13

The two sides will make their training facilities in the field of information dissemination available to each other and training programmes will be in the field of State/Government Information Services.

SPORTS

ARTICLE 14

Ghana will send and India will receive two hockey coaches for training. Details will be settled through consultations.

ly?

India will on request, send to Ghana, one volley ball coach to lecture at their Sports College. Details will be settled through mutual consultations.

MUSEUM, MONUMENTS AND ARCHIVES

ARTICLE 16

Both sides will exchange 2-3 standard art publications and 20/25 colour reproductions of masterpieces of art on reciprocal basis.

ARTICLE 17

Both sides shall exchange information on Museums.

ARTICLE 18

Both sides will exchange one archaeologist for exploring the possibilities for further exchanges in Archaeology.

ARTICLE 19

Both sides will exchange one expert each in the field of management of museums and heritage management every year for a duration of two weeks.

ARTICLE 20

Both sides will support cooperation in the fields of protection, conservation and promotion of the cultural heritage of both countries and will exchange one expert each in the field of protection and conservation of ancient monuments and archaeological sites and art objects.

ARTICLE 21

Both sides will exchange 1 archivist for one week for study-cumobservation on archival practices and exchange of views on archival cooperation.

Both sides will organize Short Term Training Courses for officials of the other side in Conservation, Records Management and Reprography. The details will be decided through mutual consultation.

ARTICLE 23

General and Financial Provisions

A. Exchange of individuals, delegations, exhibitions:

Either side shall send to the other side the bio-data (including languages spoken and proposed itinerary) at least two months in advance of the expected date of visit of the delegation or individuals selected under this cultural exchange programme, and bio-data of performing groups at an exhibition four months in advance. The receiving side shall inform the other side about agreeing to receive or postponing the date at least one month in advance.

B. Exchange of exhibitions:

Separate agreement shall be reached between the promoting side and the receiving side with regard to exhibition. The sending side shall inform the receiving country about the technical details of the proposed exhibition. The necessary information for the elaboration of the corresponding catalogue must be sent three month before the inauguration date. The art exhibits must arrive at their destination 15 days before the opening of the exhibition.

C. Exchange of materials:

Each side shall have the right to use the materials exchanged in the fields of information, Mass Media in its own programmes and such materials should not be given by the receiving side to a third party, without prior consent.

D. Finances:

When visiting each other's countries, the Sending Side shall provide international travel expenses for representatives of groups, delegations or performing groups, while the Receiving Side shall provide boarding, food and internal travel expenses as well as emergency expenses.

E. One-month duration visits:

The sending side shall provide international travel expenses in respect of their performing groups and delegation in case of visits for a period not exceeding one month. The receiving side shall provide hospitality, which includes free boarding and lodging, internal travel expenses and free medical care in case of sudden illness. This is applicable in respect of both the sides.

MISCELLANEOUS

ARTICLE 24

Additional proposals, not included in this programme, aimed at strengthening the friendly ties between the two sides will be considered and carried out by mutual consent, through diplomatic channels.

ARTICLE 25

The financial terms applicable for the implementation of this Programme shall be settled by mutual consultations through diplomatic channels.

The present Programme comes into force as from the date of signature by the two sides and will be valid for a period of four years or till a fresh Programme is signed.

TERMINATION

ARTICLE 26

Either side may at any time terminate this Cultural Exchange Programme by giving six (6) months' notice in writing through Diplomatic Channels to the other side of its intention to do so.

SETTLEMENT OF DISPUTES

ARTICLE 27

Any Dispute between both sides arising out of interpretation or implementation of this Programme, will be settled amicably through consultations and negotiations by the Parties through Diplomatic Channels.

ST.

Done and signed in New Delhi on this 18 day of July 2018, in two originals each in Hindi and English, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

In Witness Whereof, the duly authorised representatives of the Parties have signed this Cultural Exchange Programme.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GHANA

Name:

Mr. M.J. Akbar

Designation:

Minister of State for External

Affairs of India

Name:

Mrs. Shirley Ayorkor Botchwey

Designation:

Minister of Foreign Affairs &

Regional Integration of Ghana

भारत गणराज्य की सरकार और

घाना गणराज्य की सरकार के बीच वर्ष 2018-2022 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

नई दिल्ली में 12 अक्तूबर, 1981 को हस्ताक्षरित सांस्कृतिक करार के अनुसरण में तथा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हुए, भारत गणराज्य की सरकार और घाना गणराज्य की सरकार वर्ष 2018-2022 की अविध के लिए निम्नलिखित सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर सहमत हुई हैं:

संस्कृति और कला

अनुच्छेद-1

दोनों पक्षों के राष्ट्रीय पुस्तकालय ग्रंथसूचियों तथा अपने-अपने देशों में आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण प्रकाशनों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद-2

इस कार्यक्रम की वैधता के दौरान, दोनों पक्ष सात दिनों की अविध के लिए 10-15 सदस्यों वाले संगीत समूहों/नृत्य मंडलियों का आदान-प्रदान करेंगे। इन कार्यक्रमों के ब्यौरे राजनियक माध्यमों के जरिए निर्धारित किए जाएंगे।

W.

अनुच्छेद-3

इस कार्यक्रम की वैधता के दौरान, दोनों पक्ष अपने-अपने देश के विभिन्न भागों में प्रदर्शित किए जाने के लिए 2-3 सप्ताह की अविध वाली लोक/प्लास्टिक कला संबंधी प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान करेंगे। ऐसी प्रत्येक प्रदर्शनी के साथ एक कार्मिक/प्रतिनिधि साथ आएगा। इन प्रदर्शनियों के ब्यौरे राजनियक माध्यमों के जिरए तय किए जाएंगे।

अनुच्छेद-४

इस कार्यक्रम की वैधता के दौरान, दोनों देशों के बीच 4-5 लेखकों का आदान-प्रदान किया जाएगा। इनके ब्यौरे परस्पर विचार-विमर्श के जरिए तय किए जाएंगे।

अन्च्छेद-5

दोनों पक्ष, दोनों देशों के समकक्ष रंगमंच संस्थानों के बीच प्रस्तुतियों और विशेषज्ञों तथा रंगमंच विषय का अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों का पारस्परिक आधार पर आदान-प्रदान करेंगे। विशेषज्ञों का आदान-प्रदान कार्यशालाओं का आयोजन करके तथा कक्षाएं संचालित करके किया जा सकता है। दोनों पक्ष एक-दूसरे के देश में होने वाले महोत्सवों में भाग लेने के लिए अपने-अपने रंगमंच कार्यक्रम भेज सकते हैं।

जनसंचार माध्यम

अनुच्छेद-६

दोनों पक्ष, पर्यटन के क्षेत्रों सिहत संबंधित देशों के सांस्कृतिक विकास संबंधी पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए रेडियो कार्यक्रमों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे। नेताओं की वर्षगांठ मनाने के लिए विशेष कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग अनुरोध करने पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

ly.

अनुच्छेद-7

आकाशवाणी (एआईआर) भारतीय शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत (गैर-फिल्मी) की विशेष रिकॉर्डिंग नि:शुल्क भेजेगा। घाना में प्रसारण संगठन को उपलब्ध रिकॉर्डिंगों की सूची भेजी जाएगी ताकि वे अपने लिए इसमें से चयन कर सकें। इसके बदले में घाना द्वारा इसी तरह के कार्यक्रम भेजे जाएंगे।

अनुच्छेद-8

दोनों पक्ष दिए गए अकादिमक वर्ष में, एक समय में दो उम्मीदवारों को जन संचार से संबंधित कार्यक्रम तथा तकनीकी क्षेत्रों में दिए गए अपनी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। प्रेषक देश प्रशिक्षुओं पर होने वाले कुल व्यय का वहन करेगा।

अनुच्छेद-9

दोनों पक्ष एक-दूसरे के देश के जीवन और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए टी.वी. कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद-10

दोनों पक्ष अल्पकालिक अवधि के लिए भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे और घाना फिल्म स्कूल के बीच संकाय का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद - 11

दोनों पक्ष अधिकतम दो सप्ताह की अवधि के लिए दो पत्रकारों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद - 12

दोनों पक्ष दो सदस्यीय फिल्म प्रतिनिधिमंडलों की सहभागिता सिहत फिल्म सप्ताहों का परस्पर आयोजन करने तथा फिल्म महोत्सवों में भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर भी सहमत हुए हैं।

hy..

अनुच्छेद - 13

दोनों पक्ष सूचना के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में अपनी प्रशिक्षण सुविधाओं को एक-दूसरे को उपलब्ध कराएंगे और राजकीय/सरकारी सूचना सेवाओं के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

खेल

अनुच्छेद - 14

घाना द्वारा प्रशिक्षण के लिए हॉकी के दो प्रशिक्षक भेजे जाएंगे और भारत उनकी मेजबानी करेगा। इसके ब्यौरे परस्पर परामर्श के माध्यम से तय किए जाएंगे।

अनुच्छेद - 15

भारत अनुरोध प्राप्त होने पर घाना के स्पोर्टस कॉलेज में व्याख्यान देने के लिए एक वॉलीबाल प्रशिक्षक को घाना भेजेगा। इसके ब्यौरे परस्पर परामर्श के माध्यम से तय किए जाएंगे।

संग्रहालय, स्मारक एवं अभिलेखागार

अनुच्छेद - 16

दोनों पक्ष परस्पर आधार पर 2-3 मानक कला प्रकाशनों और उत्कृष्ट कलाकृतियों की 20/25 रंगीन प्रतिकृतियों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद - 17

दोनों पक्ष, संग्रहालयों पर सूचना का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद - 18

दोनों पक्ष, पुरातत्व विज्ञान में और अधिक आदान-प्रदान की संभावनाओं का पता लगाने हेतु एक-एक पुरातत्वविद का आदान-प्रदान करेंगे।



अनुच्छेद - 19

दोनों पक्ष, प्रति वर्ष दो सप्ताह की अवधि के लिए संग्रहालय प्रबंधन और विरासत प्रबंधन के क्षेत्र में एक-एक विशेषज्ञ का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद - 20

दोनों पक्ष, दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, संरक्षण और प्रोत्साहन के क्षेत्रों में सहयोग का समर्थन करेंगे तथा प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों और कला वस्तुओं की सुरक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में एक-एक विशेषज्ञ का आदान-प्रदान करेंगे।

अन्च्छेद - 21

दोनों पक्ष, अभिलेखीय पद्धतियों पर अध्ययन-सह-अवलोकन के लिए एक सप्ताह हेतु एक अभिलेखाध्यक्ष का आदान-प्रदान तथा अभिलेखीय सहयोग पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

अन्च्छेद - 22

दोंनों पक्ष, संरक्षण, अभिलेख प्रबंधन और रेप्रोग्राफी में एक-दूसरे पक्ष के अधिकारियों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करेंगे। ब्यौरे परस्पर परामर्श के माध्यम से तय किए जाएंगे।

अनुच्छेद - 23

सामान्य तथा वित्तीय प्रावधान

क. व्यक्तियों, शिष्टमंडलों, प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान :

प्रत्येक पक्ष, इस करार के तहत चुनें गए प्रतिनिधिमंडल अथवा व्यक्तियों के दौरे की संभावित तारीख से कम से कम दो माह पूर्व दूसरे पक्ष को जीवन-वृत्त (बोली जाने वाली भाषा तथा प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम सहित) भेजेगा तथा प्रदर्शनी में प्रदर्शन करने वाले मंचकला समूहों का जीवन-वृत्त चार माह

lla.

पहले भेजेगा। मेजबान पक्ष, दूसरे पक्ष को कम से कम एक माह पहले उक्त तारीख की स्वीकृति अथवा तारीख आगे बढ़ाने की सूचना देगा।

ख. प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान :

प्रदर्शनियों के संबंध में आयोजक पक्ष और अभिग्राही पक्ष के बीच अलग से करार किये जाएंगे। प्रेषक पक्ष प्रस्तावित प्रदर्शनी के तकनीकी विवरण के बारे में मेजबान पक्ष को सूचित करेगा। समरूप सूचीपत्र के विवरण संबंधी आवश्यक सूचना उद-घाटन की तारीख से तीन महीने पहले अवश्य भेजी जानी चाहिए। कला प्रदर्श, प्रदर्शनी शुरू होने से पन्द्रह दिन पहले उनके गंतव्य स्थल तक पहुँच जाने चाहिए।

ग. सामग्रियों का आदान-प्रदान :

प्रत्येक पक्ष को सूचना, जन संचार के क्षेत्रों में आदान-प्रदान की गई सामग्रियों को अपने कार्यक्रमों में उपयोग करने का अधिकार होगा और ऐसी सामग्रियों को मेजबान पक्ष द्वारा बिना पूर्व अनुमोदन के किसी तृतीय पक्ष को नहीं दिया जाना चाहिए।

घ. वित्तीय व्यवस्था :

एक-दूसरे के देश में दौरें के समय प्रेषक पक्ष समूहों, प्रतिनिधिमंडलों या मंचकला समूहों के प्रतिनिधियों के अंतरराष्ट्रीय यात्रा व्यय प्रदान करेगा, जबिक मेजबान पक्ष, आवास, भोजन, आंतरिक यात्रा व्यय के साथ-साथ आकस्मिक व्यय वहन करेगा।

ड. एक माह अवधि के दौरे :

प्रेषक पक्ष, एक माह से अनिधक अविध के दौरों के मामले में अपने मंचकला समूहों और प्रतिनिधिमंडल से संबंधित अंतरराष्ट्रीय यात्रा व्यय प्रदान करेगा। मेजबान पक्ष, आतिथ्य प्रदान करेगा जिसमें नि:शुल्क आवास एवं भोजन, आंतरिक यात्रा व्यय और अचानक अस्वस्थता के मामले में नि:शुल्क चिकित्सा देखभाल शामिल हैं। यह दोनों पक्षों के लिए लागू होगा।

विविध

अनुच्छेद - 24

इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किए गए अतिरिक्त प्रस्ताव जिनका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करना है, पर राजनयिक चैनलों के माध्यम से परस्पर सहमति से विचार-विमर्श और कार्यान्वयन किया जाएगा।

अनुच्छेद - 25

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए लागू वित्तीय शर्तों को राजनयिक चैनलों के माध्यम से परस्पर परामर्श से तय किया जाएगा।

वर्तमान कार्यक्रम दोनों पक्षों द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी होगा और चार वर्ष की अवधि या किसी नए आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर होने तक वैध रहेगा।

समापन

अन्च्छेद - 26

कोई भी पक्ष, दूसरे पक्ष को कम से कम छ: (6) माह पूर्व राजनयिक चैनलों के माध्यम से इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अपनी मंशा की लिखित सूचना देते हुए इसे किसी भी समय समाप्त कर सकता है।

h

विवादों का निपटान

अनुच्छेद - 27

इस कार्यक्रम की विवेचना या कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को, दोनों पक्षों द्वारा परामर्श और बातचीत करके राजनयिक चैनलों के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाएगा।

इस कार्यक्रम पर नई दिल्ली में दिनांक 18 जुलाई, 2018 को हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में दो-दो मूल प्रतियों में संपन्न और हस्ताक्षर किए गए, व सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। विवेचना में किसी असहमित के मामले में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा। इसके साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षों के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किये हैं।

भारत गणराज्य की

सरकार की ओर से

घाना गणराज्य की सरकार की ओर से

नाम : एम. जे. अकबर

पदनाम : विदेश राज्य मंत्री (भारत)

नाम : शर्ली यॉर्कर बॉचवे

पदनाम : विदेश मंत्री (घाना)